

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 43 / 2023

दाखर दिनांक : 05 / 10 / 2023

निर्णय दिनांक : 16 / 12 / 2024

उनवान

1. बालूदास पिता सरीदास वैरागी निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर
2. मदनदास पिता सरीदास वैरागी निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर
3. अम्बाबाई पत्नि नारायण दास वैरागी निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर
4. कैलाशी पुत्री नारायण दास वैरागी निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर
5. प्रेमीबाई पुत्री नारायणदास वैरागी निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर
6. पुष्कर दास पिता नारायण दास वैरागी निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर
7. लक्ष्मीबाई पुत्री नारायण दास वैरागी निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर
8. विष्णा बाई पुत्री नारायण दास वैरागी निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर
9. शंकरदास पिता नारायण दास वैरागी निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर
10. गोपीदास पिता प्रभूदास वैरागी निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. छगनलाल पिता खेमा जटिया निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर
2. रमेश पिता घीसा जटिया निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर
3. प्रशीलाल पिता घीसा जटिया निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर
4. देवीलाल पिता घीसा जटिया निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का रबीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रादेशित किया जाता है कि ग्राम नान्दोली ५० ह० ताणा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के प्रार्थीगण के खातेदारी के हाल खाता संख्या 35 में दर्ज हाल आराजी न० 1188/397 रकबा 0.99 है०, आराजी न० 405 रकबा 0.16 है० आराजी न० 406 रकबा 0.17 है० आराजी न० 407 रकबा 0.19 है० कुल किता 4 कुल रकबा 1.51 है० भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में समकम की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुरखा पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किता न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार के साथ प्रार्थी के पास भेजा जावे। प्रार्थी को कृपया प्रार्थना पत्र प्रेषित करे। निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(पुनीत कुमार गेलडा)

सहायक कलेक्टर व

उपखण्ड अधिकारी,

भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़

